



BAGHPAT POLICE



साइबर सैल

दिसम्बर 2022

साइबर सैल जनपद बागपत के द्वारा दिसम्बर 2022 में 07 व्यक्तियों से हुई ऑनलाइन रूपयों की धोखा-धड़ी में कुल रकम **1,07,940 रुपये** वापस कराये गये-

साइबर सैल जनपद बागपत द्वारा निम्न शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप पीड़ितों के बैंक खातों से निकाले गये रूपयों को वापस कराया गया। रूपये वापस मिलने पर पीड़ितों द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र०सं०	थाना	प्रा०पत्र सं०	बरामद धनराशि
1	बागपत	प्रा० पत्र सं०- 205/22	13,039/- रुपये
2	खेकड़ा	प्रा० पत्र सं०- 249/22	12,339/- रुपये
3	दोघट	प्रा० पत्र सं०- 266/22	18,996/- रुपये
4	सिंघावली अहीर	प्रा० पत्र सं०- 352/22	9,800/- रुपये
5	रमाला	प्रा० पत्र सं०- 361/22	23,238/- रुपये
6	रमाला	प्रा० पत्र सं०- 367/22	9,500/- रुपये
7	बडौत	प्रा० पत्र सं०- 387/22	21,028/- रुपये
		कुल योग	1,07,940/-रुपये



BAGHPAT POLICE



बागपत पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत माह दिसम्बर में कुल-44 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया:-

बागपत पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह दिसम्बर में कुल-44 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र०सं०	थाना	मु०अ०सं०	धारा
1	बागपत	297/22	366 भादवि
2	बागपत	500/22	363/323/506 भादवि
3	बागपत	704/22	366 भादवि
4	बागपत	998/22	366 भादवि
5	बागपत	1010/22	366 भादवि (01 महिला व 02 बच्चे)
6	बागपत	1044/22	365 भादवि
7	बागपत	1145/22	366 भादवि
8	सिंघावली अहीर	318/22	365 भादवि
9	सिंघावली अहीर	364/22	363 भादवि
10	सिंघावली अहीर	439/22	366 भादवि (02 लडकी)

11	बिनौली	281/22	366 भादवि
12	बिनौली	313/22	366/506 भादवि
13	बिनौली	322/22	365 भादवि
14	बिनौली	332/22	366 भादवि
15	खेकड़ा	288/22	366 भादवि
16	खेकड़ा	499/22	366 भादवि
17	खेकड़ा	539/22	365 भादवि
18	खेकड़ा	544/22	363 भादवि
19	चांदीनगर	220/22	366 भादवि
20	बालैनी	138/22	366 भादवि
21	बालैनी	159/22	365 भादवि
22	बड़ौत	167/22	366 भादवि
23	बड़ौत	170/22	366 भादवि
24	बड़ौत	575/22	366 भादवि
25	बड़ौत	705/22	366 भादवि
26	बड़ौत	865/22	365 भादवि
27	बड़ौत	955/22	366 भादवि (01 महिला व उसकी लड़की)
28	बड़ौत	1111/22	363 भादवि
29	बड़ौत	1112/22	363 भादवि
30	बड़ौत	1115/22	365 भादवि
31	बड़ौत	1134/22	363 भादवि

32	बड़ौत	1139/22	366 भादवि
33	बड़ौत	1153/22	363 भादवि
34	बड़ौत	1161/22	363 भादवि
35	रमाला	115/22	363 भादवि
36	रमाला	261/22	366 भादवि
37	छपरौली	163/22	366 भादवि
38	छपरौली	311/22	366 भादवि
39	छपरौली	359/22	365 भादवि
40	सिंघावली अहीर		04 वर्षीय बच्ची



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 01.01.2023

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पुलिस के सहयोग से थाने के मु0अ0सं0 297/22 धारा 363 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त व अपहृता को बांग्लादेश से किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 297/22 धारा 363 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को बांग्लादेश से थाना दोघट पर लाया गया है । पश्चिम बंगाल के थाना मानकटोला पुलिस के सहयोग से अपहृता को बांग्लादेश से सकुशल बरामद किया गया है ।



अभियुक्त को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 सियालदाह 24 परगना साउथ के समक्ष पेश कर ट्रान्जिट रिमाण्ड स्वीकृत कराकर अभियुक्त व अपहृता को थाना दोघट जनपद बागपत लाया गया ।

उपरोक्त अभियोग में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रीतम बक्शी पुत्र विवेक बक्शी निवासी E 6/4 सतमाहिर कालोनी पुरानी दिल्ली सीमापुरी पूर्वी दिल्ली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उप0नि0 श्री अतेन्द्र सिंह थाना दोघट ।
- 2-है0का0 112 तेजवीर सिंह थाना दोघट ।
- 3-है0का0 124 कृष्णवीर सिंह थाना दोघट ।
- 4-म0का0 776 सोनी थाना दोघट ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 01-01-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1119/22 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर विश्वकर्मा मन्दिर से चोरी किया हुआ कलश बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.12.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री वीर सिंह पुत्र मुरारीला निवासी गांव मितली थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोर ने गांव मितली के भगवान विश्वकर्मा मन्दिर से कलश चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 1119/22 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1119/22 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर गांव मितली के भगवान विश्वकर्मा मन्दिर से चोरी किया हुआ कलश बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विशाल पुत्र देवेन्द्र निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- कलश की 10 प्लेट (पीतल धातु)। (सम्बन्धित मु०अ०सं० 1119/22 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि०- श्री सुनील कुमार कोतवाली बागपत।
- 2-का० 511 धर्मेन्द्र सिंह कोतवाली बागपत।
- 3-का० 846 नरेन्द्र कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक -01.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 235/22 धारा 147/148/149/302/34
भादवि में वांछित 10 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.03.2022 को थाना बडौत पर वादी श्री सुरेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि गांव के ही जितेन्द्र पुत्र महकसिंह, आनन्द पुत्र राजवीर व अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके भाई जितेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 235/22 धारा 147/148/149/302/34 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं इनामी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 235/22 धारा 147/148/149/302/34 भादवि से सम्बन्धित 10 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 10 हजार का इनाम घोषित किया गया था ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा पूर्व में अभियुक्त 1-आशू पुत्र अजीज 2-सुधीर पुत्र महकसिंह 3-बुद्ध प्रकाश पुत्र राजवीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आनन्द पुत्र राजवीर निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त आनन्द का आपराधिक इतिहास-

1-मु०अ०सं० 963/20 धारा 302/328 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-मु०अ०सं० 204/21 धारा 307/323/386/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-मु०अ०सं० 235/22 धारा 147/148/149/302/34 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० श्याम सिंह थाना बडौत ।

2-है०का० 437 बलजीत सिंह थाना बडौत ।

3-है०का० 438 कवित कुमार थाना बडौत बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 01.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 708/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10-10 हजार रुपये के इनामी 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 708/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10-10 हजार रुपये के इनामी



02 अभियुक्तों रवि उर्फ बन्टी व बबलू उर्फ बलराज को गिरफ्तार किया गया है । उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-रवि उर्फ बन्टी पुत्र विनोद निवासी ग्राम नाला थाना कांधला जनपद शामली ।
- 2-बबलू उर्फ बलराज पुत्र रामबीर निवासी शाहडभ्रर थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ।

गिरफ्तार अभियुक्त रवि उर्फ बन्टी का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 1158/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-मु0असं0 708/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त बबलू उर्फ बलराज का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 1158/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-मु0असं0 708/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 कृपेन्द्र सिंह थाना बडौत ।
- 2- उ0नि0 श्याम सिंह थाना बडौत ।
- 3- हे0का0 437 बलजीत थाना बडौत ।
- 4- हे0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत ।
- 5- हे0का0 468 कुलदीप देशवाल थाना बडौत ।
- 6- का0 402 विशाल पूनिया थाना बडौत ।
- 7- का0 403 नितिन त्यागी थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक -01.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1190/22 धारा 302 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.12.2022 को वादी मुकुल अहलावत पुत्र सुशील अहलावत निवासी ग्राम कन्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा थाना आकर सूचना दी गई कि अभियुक्तगण विशाल व विशाल के भाई निवासीगण वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के भाई विपुल की गोली मारकर हत्या कर दी है । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1190/22 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1190/22 धारा 302 भादवि वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-विशाल पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-विशाल उर्फ विशू पुत्र अनिल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-SHO श्री नोवेन्द्र सिंह सिरोही थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री अशोक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 468 कुलदीप देशवाल थाना बडौत बागपत
- 4-का० 402 विशाल पूनिया थाना बडौत
- 5-का० 403 नितिन त्यागी थाना बडौत जिला बागपत



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक -01.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1190/22 धारा 302 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्तों को शरण देने पर 03 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.12.2022 को वादी मुकुल अहलावत पुत्र सुशील अहलावत निवासी ग्राम कन्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा थाना आकर सूचना दी गई कि अभियुक्तगण विशाल व विशाल के भाई निवासीगण वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत व अन्य अज्ञात



व्यक्तियों द्वारा वादी के भाई विपुल की गोली मारकर हत्या कर दी है । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1190/22 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

थाना बडौत पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आये कि विशाल निवासी वाजिदपुर ने मृतक के दोस्त का एक आपत्तीजनक वीडियो बना लिया था ।

उस वीडियो को डिलीट करवाने के लिए दो पक्षों में विवाद हुआ उसी दौरान वादी के भाई विपुल की विशाल और विशाल के साथियों ने हत्या कर दी ।

प्रकाश में आये अभियुक्तों के घर पर गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी तथा दबिश के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तों को उनके परिजनो द्वारा शरण दी गयी तथा उनको घर से भगा दिया ।

इस सम्बन्ध में बडौत पुलिस द्वारा अभियुक्तो को शरण देने के अपराध में 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अशोक कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

2. सतेन्द्र पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. अनिल पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- SHO श्री नोवेन्द्र सिंह सिरोही थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 1- उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4- उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5- का0 1043 सुनील यादव थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6- का0 135 पुष्पेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक:- 01.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-शहजाद पुत्र सलीमू निवासी बडका रोड करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 गवेन्द्रपाल सिंह थाना बडौत ।
- 2-का0 1115 राहुल कुमार थाना बडौत ।
- 3-का0 738 बालकिशन थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 01.01.2023

थाना कोतवाली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 42 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 42 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- मुकेश पुत्र महेन्द्र निवासी गांव खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 42 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली जनपद बागपत ।

2- का0 179 सचिन थाना कोतवाली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 01.01.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 1082/22 धारा 63 आबकारी अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 48 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 1082/22 धारा 63 आबकारी अधिनियम में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 48 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्क बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पिंकू पुत्र जयभगवान निवासी गांव काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 48 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्क ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना कोतवाली जनपद बागपत ।
- 2- का0 885 हरिओम थाना कोतवाली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 01.01.2023

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 172/22 धारा 323/324/504/506/352 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.12.2022 को थाना बालैनी पर वादी दीपक पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.मदन पुत्र धर्मपाल, 2.हरेन्द्र पुत्र मदन, 3.नवीन पुत्र ब्रह्म, 4.पुनीत पुत्र लाला निवासीगण ग्राम डौलचा थाना बालैनी द्वारा उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 172/22 धारा 323/324/504/506/352 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 172/22 धारा 323/324/504/506/352 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-मदन पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-नवीन पुत्र ब्रह्म निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2- का0 354 सतवीर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3- का0 997 सोनू थाना बालैनी जनपद बागपत ।